कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेशक्रमांकशिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था. /2019
दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री सत्यनारायण खटीक, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैथूदा, नैनवा, बूंदी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 10 बी.डी. जवाहर नगर जैसलमेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री सत्यनारायण खटीक द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3329/2019 सत्यनारायण खटीक बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3329/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2019 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थीविभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील मे वर्णित आधारों पर एक अभ्यावदेन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुर्क्त आशय का अभ्यावदेन प्राप्त होने पर विभागीय दिशा निर्देशों एवं नियमों के अर्न्तगत निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपना पदस्थापन राजकीय उच्चमाध्यमिक विद्यालय गुढा, केपाटन बूंदी, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय गांदोली खुर्द, केपाटन बूंदी, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय छोंतरा का खेडा के.पाटन बूंदी एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय कोडक्या, के.पाटन बूंदी में से किसी एक स्थान पर कियेजाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा निर्देश दिनांक 24.9.2019 के अनुसार राज्य सेवा के ऐसे कार्मिक जो पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यकता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त प्रकरणों को स्थानान्तरण के आवेदनों में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थें। अपीलार्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रकट नहीं होता जिससे उनके अभ्यावेदन पर सहानूभूतिपूर्वक विचार किया जावे।

अपीलार्थी एक ही स्थान पर बने रहना चाहता है जो किसी भी राज्य सेवा के अधिकारी के लिये उचित एवं तर्कसंगत नहीं है। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी है और उन्हे राज्य एवं छात्र हित में राज्य में कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य(ए.आई.आर 1991 एस.सी 532) प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह किस कार्मिक को कब व कहां पदस्थापित करें।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्येनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री सत्यनारायण खटीक का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाता है । श्री सत्यनारायण लक्षकार को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐ(वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील)नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। संबंधित सूचित हो।

20/12

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/सत्यनारायण खटीक/3329/2019 दिनांक २० .12.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा/जोधपुर संभाग।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बूंदी/जैसलमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बूंदी/जैसलमेर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. श्री सत्यनारायण खटीक,सम्बन्धित प्रधानाचार्य।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्तनिदेशक(कार्मिक)